न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 तारीख फैसला
07 / 2021 9.09.2023

उनवान

1– बृजेश बाई उर्फ बरजी बाई पुत्री पन्नालाल पत्नी कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम गिरधरपुरा हाल मुकाम बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः–
वादनी की ओर से – श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में खसरा नम्बर 104 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 3.39 हेक्टर कुल दो किता की 3.51 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें वादनी का नाम बरजी बाई दर्ज है। उक्त आराजी में वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम बरजी बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादनी का वास्तविक नाम बृजेश बाई है, तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम बृजेश बाई है जिससे वादनी को सरकारी योजनलाओं में किशान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैक डायरी , अंक तालिका आदि में वादनी का नाम बृजेश बाई है। वादनी का नाम जमाबन्दी में बरजी बाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमि सुधार के लिये परेशानी हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इसलिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बृजेश बाई के स्थान पर बरजी बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बरजी बाई के स्थान पर बृजेश बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 16.12.2021 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त नहीं करने कि कहने पर पैदा हुआ। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः– कि ग्राम गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में खसरा नम्बर 104

रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 3.39 हेक्टर कुल दो किता की 3.51 हेक्टर भूमि जिसमें वादनी का नाम बरजी बाई अंकित है। वादनी का नाम बरजी बाई के स्थान पर बृजेश बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया कि पटवारी हल्का एवं भू0अभि0निरीक्षक रेल कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम गिरधरपुरा के ग्रामवासियान द्वारा अवगत कराया गया कि बृजेश बाई व बरजी बाई पुत्री पन्नालाल पत्नि कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी गिरधरपुरा एक ही महिला है। बृजेश बाई को बचपन से ही बरजी बाई के नाम से पुकारा जाता है। अतः बृजेश बाई व बरजी बाई एक ही व्यक्ति है, अन्तः नाम दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया है।

4. वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गिरधरपुरा में वादनी के शामलाती खाते की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में खसरा नम्बर 104 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 3.39 हेक्टर कुल दो किता की 3.51 हेक्टर भूमि में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादनी का नाम बरजी बाई दर्ज है। उक्त आराजी में वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम बरजी बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादनी का वास्तविक नाम बृजेश बाई है, तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम बृजेश बाई है वादी का नाम वोटर आई डी , आधार कार्ड, राशन कार्ड , पेन कार्ड, बैंक डायरी की छायाप्रति, अंक तालिका आदि समस्त रिकार्ड में बृजेश बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बरजी बाई पुत्री पन्नालाल के स्थान पर बृजेश बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा अंकित किया जाना आवश्यक है।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाहान पी डब्ल्यु 1 बृजेश बाई का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम गिरधरपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, वोटर आई डी , आधार कार्ड, राशन कार्ड , पेन कार्ड, बैंक डायरी की छायाप्रति, अंक तालिका आदि के समस्त रिकार्ड पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बरजी बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा के स्थान पर बृजेश बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस तथा जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली में उपलब्द्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बरजी बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा के स्थान पर बृजेश बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गिरधरपुरा में वादनी के शामलाती खाते की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में खसरा नम्बर 104 रकबा 0.12 हेक्टर,

खसरा नम्बर 50 रकबा 3.39 हेक्टर कुल दो किता की 3.51 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम बरजी बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा के स्थान पर वृजेश बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

09/09/23
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)